प्रेस विज्ञप्ति

17.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, माननीय विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक सीबीआई मामले, कश्मीर, श्रीनगर की अदालत में **09.09.2025** को हकीम इम्तियाज (तत्कालीन जूनियर इंजीनियर, आर एंड बी पीडब्ल्यू शोपियां डिवीजन), नियामत अली भट (एक निजी सिविल ठेकेदार), शाहनवाज शफी (तत्कालीन सर्कल डिप्लॉयमेंट हेड, एयरटेल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र), मलिक मोहसिन शाह (एक्सिस बैंक, अरहामा शाखा, शोपियां के तत्कालीन कर्मचारी) के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। इसके अलावा, अभियोजन शिकायत का संज्ञान भी माननीय विशेष न्यायालय द्वारा **09.09.2025** को लिया गया है।

ईडी ने एसीबी, जम्मू-कश्मीर, अनंतनाग द्वारा जेके पीसी अधिनियम की धारा **5(1)**(सी), **5(1)**(डी) आर/डब्ल्यू **5(2)** और आरपीसी की धारा **420, 468, 471, 120**-बी (पीसी अधिनियम, **1988** की धारा **13(1)**(सी), **13(1)**(डी) आर/डब्ल्यू **13(2)** और भारतीय दंड संहिता, **1860** की धारा **420, 468, 471** और **120**-बी के समतुल्य) के तहत हकीम इम्तियाज और नियामत अली भट के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। उक्त मामला एसीबी द्वारा एयरटेल प्राधिकारियों और रिलायंस जियो से संबंधित धन के दुरुपयोग के आरोपों के सत्यापन के आधार पर दर्ज किया गया था, जिन्होंने शोपियां और हंदवाड़ा जिले में टेलीफोन केबल बिछाने के दौरान सड़कों को हुए नुकसान के लिए पीडब्ल्यूडी, आरएंडबी विभाग के पक्ष में भारी धनराशि का भुगतान किया था।

ईडी की जाँच से पता चला है कि हकीम इम्तियाज़ ने नियामत अली समेत अन्य लोगों के साथ आपराधिक साजिश रचकर, फाइबर-ऑप्टिक केबल बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई संपत्ति की मरम्मत के लिए **2.67** करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से धनराशि प्राप्त की और उसे "सहायक अभियंता, पीडब्ल्यू (आर एंड बी) डिवीजन, शोपियाँ" के नाम से खोले गए एक एकल-संचालित बैंक खाते में जमा कर दिया, जिसका स्पष्ट उद्देश्य उक्त धनराशि को हड़पना था। यह भी पता चला है कि बैंक खातों में अपराध के आगम प्राप्त होने के बाद, नियामत अली भट ने उस राशि का एक हिस्सा कुर्क की गई संपत्तियों के अधिग्रहण और निर्माण के लिए इस्तेमाल किया था।

इससे पहले, ईडी, श्रीनगर ने नियामत अली भट की चल (एक मारुति वैगन आर) और अचल संपत्तियां (जमीन के रूप में, **01** कनाल, **03** मरला, छत्ताबल दक्षिण जिला श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में स्थित और उस पर बने दो मंजिला आवासीय घर सहित) जब्त की थीं, जिनकी कीमत **1.56** करोड़ रुपये थी।

आगे की जांच जारी है।